राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./4273/2004/जालोर

रावता पुत्र नानजी जाति भाम्बी, निवासी डूँगरी, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– नैथीराम पुत्र चमनाराम
2– दला पुत्र गलबा
3– शंकरा पुत्र गलवा
जाति भाम्बी, निवासी डूँगरी, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री ओ0एल0 दवे, अभिभाषक रैस्पो0

दिनांक : 18.03.2020

निर्णय

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प जालौर द्वारा अपील संख्या 13/2003 शीर्षक 'चमना बनाम रावता' में पारित निर्णय दिनांक 12–08–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी रावता ने सहायक कलक्टर, सांचोर के न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण/रैस्पो0 व अन्य के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा डूँगरी, तहसील रानीवाडा स्थित आराजी खसरा नम्बर साबिक 49 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा पर वादी का कब्जा काश्त है और खातेदार है। उक्त आराजी के द्वितीय पैमाइश में नवीन खसरा नम्बर 78 रकबा 2.58 है0 कायम किए गए हैं। वादी की उक्त आराजी के पास ही प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर साबिक 50 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर 76 रकबा 1.25 है0 एवं 77 रकबा 1.68 है0 यानि कुल रकबा 2.93 है0 स्थित है। वादीगण के पुराने रकबे 17 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर नवीन में रकबा 2.58 है0 दिया गया है और प्रतिवादीगण के पुराने रकबे 14 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर नवीन में रकबा 2.93 है0 दिया गया है और इस प्रकार वादी के खेत में से ये रकबा बढा कर दिया गया है। भू प्रबन्ध को रकबे को कम ज्यादा करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वादी के साबिक खसरा नम्बर 49 का पैमाइश में नक्शा बदल दिया गया है जो अ,ब,स भाग तक एकदम सीधा न हो कर प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 50 की ओर सेढे का ढलान है, जिसको पैमाइश में नक्शे में वादी के नये खसरा नम्बर 78 में एकदम सीधा कर दिया है और वादी की जमीन में सेढा दर्शा दिया है जो खसरा नम्बर 78 में अ से ब भाग तक स्पष्ट

साबित है। इस प्रकार वादी का रकबा कम कर दिया गया है। वादी द्वारा वादपत्र में अनुतोष चाहा कि दावा वादी डिक्री कर पुराने खसरा नम्बर 49 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसको कम कर नवीन खसरा नम्बर 78 रकबा 2.58 है0 कायम कर प्रतिवादी के पुराने खसरा नम्बर 50 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा को बढा कर नवीन खसरा नम्बर 76 रकबा 1.25 है0 एवं 77 रकबा 1.68 है0 यानि कुल रकबा 2.93 है0 बनाया गया है में से खसरा नम्बर 77 रकबा 1.68 है0 भूमि वादी के खेत से लगती हुई है को पुनः वादी के नाम खातेदारी में किया जाए और द्वितीय पैमाइश में नक्शा ट्रैस में गलत तरमीम को निरस्त कर पुराने नक्शे के अनुसार भाग अ,ब,स को तरमीम किए जाने के आदेश दिए जावें।

3– परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, रानीवाडा ने निर्णय दिनांक 26–3–2002 से दावा वादी इकतरफा में डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील प्रतिवादीगण/वर्तमान रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प जालौर द्वारा अपील संख्या 13/2003 शीर्षक 'चमना बनाम रावता' में पारित निर्णय दिनांक 12–08–2004 से अपील को स्वीकार किया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसे निर्णय दिनांक 26–3–2002 से दावा वादी डिक्री करने में परीक्षण न्यायालय ने कोई तथ्यात्मक भूल नहीं की है और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से इस निर्णय को निरस्त करने में तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रैस्पो0 ने मुख्यतया यह आपत्ति की थी कि वादी ने वाद के सम्मनों को विधिवत रुप से उन्हें तामील नहीं कराया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में इस बिन्दु को स्वीकार किया किन्तु अपील को भी स्वीकार कर लिया गया। यदि रैस्पो0 गलत तामील कराए जाने का आक्षेप लेते हैं तो अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के इकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु उन्हें आदेश 9 नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायलाय के समक्ष ही प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। यदि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सम्मनों की विधिवत तामील नहीं होना माना है तो प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने, जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुये परीक्षण न्यायालय को प्रकरण को प्रति–प्रेषित करना चाहिए था। उनका बहस में यह भी तर्क रहा है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–3–2002 के विरुद्ध प्रथम अपील करीब 1 वर्ष की समयावधि के बाद दिनांक 7–4–2003 को प्रस्तुत की गई जो स्पष्ट रुप से मियाद बाहर थी और मियाद कंडोन किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत भी किया गया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर कोई परीक्षण किए बिना ही प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया है जो कि स्पष्ट रुप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञाकारी प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में विस्तार से विवेचन किये बिना नॉन–रीजण्ड व नॉन–स्पीकिंग आदेश से परीक्षण न्यायालय के विधिक निर्णय को निरस्त किया है जब कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर यदि परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर विपरीत निर्णय दिया जाता है तो निर्णय सु–स्पष्ट

व स–कारण आख्यापक आदेश होना चाहिए था। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

6– रैस्पो0/प्रतिवादीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–3–2003 हमारे विरुद्ध इकतरफा में पारित किया गया था, अतः हमें इसका ज्ञान समय पर नहीं होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मियाद कंडोन के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई थी। चूँकि निर्णय दिनांक 26–3–2003 हमारे विरुद्ध इकतरफा में पारित किया गया था, इसका ज्ञान समय पर नहीं हुआ था, अतः प्रथम अपील मियाद बाहर होने से ही प्रकरण को गुणांवगुण पर तय किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से यह माना है कि सम्मनों की तामील विधिवत रुप से नहीं की गई है, अतः परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण अपना पक्ष नहीं रख सके थे। वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें भू प्रबन्ध में उसका रकबा साबिक के अनुरुप नहीं हो कर साबिक से कम रकबा भू प्रबन्ध में देने का कथन करते हुये प्रतिवादीगण के रकबे में से कमी पूर्ति चाही है किन्तु इसकी पुष्टि हेतु कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परीक्षण न्यायालय ने मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है जब कि दावा वादी का होने से उसे मुख्य विवाद बिन्दु को पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट करना आवश्यक था। कमी–बेशी के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज वादी ने प्रस्तुत नहीं किया था। अतः परीक्षण न्यायालय के अविधिक निर्णय को अपीलाधीन निर्णय से निरस्त करने में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अपील खारिज की जाए।

7– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

8– पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद व स्वीकृत तथ्य है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा को परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, रानीवाडा ने दिनांक 26–3–2002 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध इकतरफा में निर्णित करते हुये वादी का वाद डिक्री किया था। इस निर्णय के विरुद्ध दिनांक 7–4–2003 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रार्थना पत्र धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 9–4–2003 को ताबे उज्र मियाद अपील को दर्ज किया गया है और प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को कहीं विवेचित नहीं किया है जब कि आदेश 41 नियम 3–ए, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार यह आज्ञापक था कि अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को तय किया जाता। न्याय दृष्टान्त आर.बी. जे. (13) 2006 पेज 78 में भी स्पष्ट मत इसी आशय का प्रति पादित किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के इकतरफा निर्णय व डिक्री के सम्बन्ध में अपने निर्णय में अंकित किया है कि “सम्मनों की तामील सम्बन्धी कार्यवाही को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया गया है और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरुप न्यायिक तौर पर कार्यवाही नहीं की गई है। वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना था तो साबित करने में वादी पूर्णतया असफल

रहा है।" प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यही है कि जब प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रतिवादीगण की तामील सम्बन्धी कार्यवाही को विधिवत नहीं माना है तो इससे स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद का जबाबदावा, तनकियात कायमी व साक्ष्य सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने के बजाए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसरण में प्रकरण को पुनः विचारण हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करना चाहिए था। चूँकि प्रथम अपीलीय न्यायालय के स्तर पर किसी प्रकार की साक्ष्य आदि की कार्यवाही नहीं हुई है, अतः अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना हम न्यायोचित नहीं मानते हैं।

9– फलतः प्रकरण में निहित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील **स्वीकार** की जा कर अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प जालौर द्वारा अपील संख्या 13/2003 शीर्षक 'चमना बनाम रावता' में पारित निर्णय दिनांक 12–08–2004 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर, रानीवाडा को **प्रति प्रेषित** करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण से विधिवत जबाबदावा प्राप्त करें, तनकियात कायम करें और विधिवत साक्ष्य कराई जा कर उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के अनुरुप नियमानुकूल निर्णय पारित करें। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 7.4.2020 को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, रानीवाडा के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य